उल्लंघन सह कारण बताओ नोटिस

jft- ,-Mh-@b&esy

Hkkjr ljdkj

[kku e=ky;

Hkkjrh; [kku C;wjks

{ks=h; [kku fu;a=d dk;kZy;

f}rh; ry] th0 ,l0 vkbZ0 QhYM Áf'k{k.k dsUnz] egkykZ[kkdkj dk;kZy; ifjlj]

iksLV&fo/kku lHkk] jk;iqj&492005 ¼NRrhlx<½

Qksu ,oa QSDl&0771&2282530] 2285590@95 bZ&esy% **ro.raipur@ibm.gov.in**

No- CHG/DRG/LST-49/38CHG05013 खान कोड- 38CHG05013 दिनांकः–30.09.2022

प्रेषिति-

श्री प्रकाश चंद्र साहू, पट्टाधारक,
सहगांव एबं पथारिया चुनापाथर खान,
मकान न. 10 बी, गली न. 37,
सेक्टर- 04, भिलाई, जिला-दुर्ग,
छत्तीसगढ़ -490023
ईमेल- prakashchandrasahu75@gmail.com

विषय :छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित आपके सहगांव एवं पथरिया चुनापथर खदान 5.93 हैक्टर में खनिज संरक्षण एबं बिकास नियमाबली 2017 एबं 2021 के नियमों के संबंध में ।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 02.09.2022 को ईस कार्यालय के श्री प्रशान्त कुमार साहू, सहायक खनन अभियंता द्वारा श्री संतोष कुमार सिंह, खनन अभियंता की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के उपरांत पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण विकास नियमावली 2017 एबं संशोधित नियमावली 2021 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन किया है |

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
26(2)	A yearly report as per the format specified by the Indian Bureau of Mines, before 1st day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out as envisaged in the approved mine closure plan has not been submitted for the year 2021-22.
45(5) (c)	While scrutiny of annual return for financial year 2021-22 following discrepancies are observed; i. At part – I of table no. 12, the lease area (surface area) utilization at the end of the year are furnished incorrectly. ii. At part-V (General Geology & Mining), updated reserves and resources at the end of the year are furnished incorrectly.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 **एबं संशोधित नियमावली** 2021 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 **एबं संशोधित नियमावली** 2021 के नियम 11(2) एवं 45(7) के अंतर्गत ।

(क) नियत तारीख तक प्रस्तुत नहीं करने पर या वार्षिक में अपूर्ण/गलत/मिथ्या सूचना देने पर 10,000/ रुपये प्रति दिन नियत तारीख के पश्चात उलंघन में सुधार तक भुगतान करना होगा।

(ख) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ग) आपके विरूद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।

(घ) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघन **26(2)** का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

04. अतःआपको यह भी निर्देष दिया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघन **45(5)(C)** का **अतिशीघ्र** सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 30 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें। कृपया ध्यान रखें कि भविष्य में इस संदर्भ में आपको कोई सूचना नहीं दी जाएगी।

भवदीय,

(दयानंद उपाध्याय)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :– (ईमेल द्वारा)

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर–440001
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
3. निदेशक ;(सांख्यिकी) एवं प्रभारी अधिकारी ख.ख.सां.वि. भारतीय खान ब्यूरो, वी मंजिल, ब्लाक डी, सिविल लाइन्स, नागपुर- 440001।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो